

प्रेषक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त,
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग बाबा एजूकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल

संख्या:

रा०म०लो०चि०/व्यव० प्रशि०/2019/ 4743

दिनांक 23 जनवरी, 2019

विषय:-

जी०एन०एम०(सत्र:2018-19 के 60 प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्रांक-006/19 दिनांक 03.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा अपने संस्थान के जी०एन०एम० के कुल (60) छात्र/छात्राओं को इस चिकित्सालय से व्यवहारिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- प्रशि०प्रको०/02/2014/02 दिनांक 02.01.2019 में निहित शर्तों के अन्तर्गत आपके संस्थान के उक्त प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 01-02-2019 से छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- प्रशिक्षण हेतु रू० 100000 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- व्यवहारिक प्रशिक्षण दो बैच में प्रदान किया जायेगा। प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक अपरान्ह 2.0 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक।
- 3- प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह तक इस बैच के प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रशिक्षण हेतु जी.ए.एम. छात्र/ए.एन.एम. छात्र/छात्राओं को कोई वित्तीय सहायता इस संस्थान द्वारा नहीं दी जायेगी।
- 5- इस बैच में केवल उन्ही (60) छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिनका शुल्क आप द्वारा जमा किया जायेगा तथा शुल्क जमा करते समय छात्र/छात्राओं की सूची इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

नवदीप,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्त दिनांक

पू०सं०: निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2019/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नर्सिंग अधीक्षिका, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 2- निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ph No.(0522) 4918504,6692000 Fax No.- 0522- 4918506, Website- www.drmlims.ac.in



Office of Dean

Prof. Mukul Misra

DM (Cardiology)

E-mail: deanrmlims@gmail.com

Ref. No: S.C.22.....

Date: 26/03/18.....

To
Sri R.K. Bajpayi,
Secretary,
Baba Educational Society,
Institute of Paramedicals,
Deva Road,
Lucknow

Sub: Regarding approval for Short Term Clinical Training of B.Sc. Nursing Students.


Dear Sir,

With reference to your letter no. 001/18 dated 02.01.2018, The request for the short term Nursing Training of 40 B.Sc. Nursing students are permitted for training in April to September 2018, only if payment of Rs. 3,000/- PM for each of the students is done before commencement of training.

- The clinical rotation plan approval will be provided after fee deposit.
- The students will be permitted with their tutor only. In case, any incident of indiscipline or breakage/damage to the hospital premises happens by the students, the parent institute will be responsible for that.
- The rules and regulations of this institute will have to be followed mandatorily by the trainees during the training session.
- This permission is provisional and can be cancelled if any of the terms and conditions is not duly followed.

Thank You

Sincerely


(Mukul Misra)
Prof. Mukul Misra
Dean
Dr. RMLIMS, Lucknow

Copy to Chief Nursing Officer, Dr. RMLIMS, Lucknow for information & necessary action.

(Mukul Misra)
Dean



Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ph No.(0522) 4918504,6692000 Fax No.- 0522- 4918506, Website- www.drmlims.ac.in

Office of Dean
Prof Mukul Misra
DM (Cardiology)
E-mail: deanrmlims@gmail.com

Ref.No: 324 /Dean/RMLIMS/2017
Date: 22.4.17

To,
Director,
Baba Educational Society, Institute of Paramedicals,
Deva Road, Chinhat, Lucknow.

Subject- Regarding approval for Short Term Nursing Training.

Dear Sir,

With reference to your letter no. 066/17, dated 18.04.2017, the request for the Short Term Nursing Training is permitted to be scheduled in month from May - August 2017.

The required payment of Rs. 3000/- PM for each of the students is to be submitted before commencement of training. The clinical rotation plan approval will be provided after fee deposit.

The Students will be permitted with their tutor only. In case, any incident of indiscipline or breakage/damage to the hospital premises happens by the students, the parent institute will be responsible for that.

The rules and regulations of this institute will have to be followed mandatorily by the trainees during the training session.

(Prof. Mukul Misra)

Copy to Chief Nursing Officer, Dr. RMLIMS, Lucknow for information & necessary action.

(Prof. Mukul Misra)

प्रेषक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त,
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग
बाबा एजुकेशन सोसाइटी,
इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलस, लखनऊ।

संख्या:

विषय:-

निदेश 0प्र0अधी0/रा0म0लो0चि0/प्रशि0/2017 / दिनांक 21 अप्रैल, 2017
डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 056/17 दिनांक 25-03-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के कम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-05-2017 से छः माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/ महानिदेशालय के द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु० 1000=00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
उक्त दिनांक

पू०सं०:

प्रतिलिपि:

1-

2-

3-

4-

निदेश 0प्र0अधी0/रा0म0लो0चि0/प्रशि0/2017/255-4
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
नर्सिंग अधीक्षिका, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ०प्र० शासन।
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

प्रेषक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त,
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,

स्कूल आफ नर्सिंग

बाबा एजुकेशन सोसाइटी,

इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलस, लखनऊ।

संख्या:

विशय:-


निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017 / 6349 दिनांक ०5 दिसम्बर, 2017
डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 290/17 दिनांक 22-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/ छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के क्रम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-01-2018 से छः माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/ महानिदेशालय के पत्रांक-प्रशि० प्रको०/02/2014/7467 दिनांक 21-11-2017 में द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु० 1000=00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,



(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

उक्तदिनांक

पृ०सं०:

प्रतिलिपि:

1-

निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017 /

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-

नर्सिंग अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशान में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

3-

चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।

4-

संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ०प्र० शासन।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

प्रेषक,

चिकित्सा अधीक्षक,
हास्पिटल ब्लॉक,
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग बाबा एजूकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल,
लखनऊ।

संख्या:

रा०म०लो०अ०सं०/प्रशि०/2019/ 3184

दिनांक २८ दिसंबर, 2019

विषय:-

जी०एन०एम० (सत्र 2019-20 के छात्र/छात्राओं को क्लिनिकल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या 448/19 दिनांक 03.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा अपने संस्थान के 60 जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को इस संस्थान से व्यवहारिक (क्लिनिकल) प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-8 के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2014-एन०(138)/2008 टी०सी० दिनांक 23.04.2015 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या प्रशि०प्रको०/02/2014/4314 दिनांक 30.08.2019 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० के पत्र संख्या एम०ई०-1/2019/3028 दिनांक 30 सितंबर, 2019 के क्रम में आपके संस्थान के 60 छात्र/छात्राओं को दिनांक 10.12.2019 से 06 माह तक निम्न शर्तों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु० 1000 =00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रशिक्षण समाप्त होने तक बैंच के प्रत्येक छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- उक्त प्रशिक्षण हेतु जी.एन.एम. छात्र/छात्राओं को कोई वित्तीय सहायता इस संस्थान द्वारा नहीं दी जायेगी।
- 4- आप द्वारा प्रशिक्षण हेतु भेजे जा रहे बैंच की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं के नाम की सूची अनिवार्य रूप से नर्सिंग अधीक्षिका को प्रस्तुत की जाय।
- 5- व्यवहारिक प्रशिक्षण दो बैंच में प्रदान किया जाएगा। प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक, अपरान्ह 02:00 बजे से सात्रि 08:00 बजे तक।

भवदीय,


चिकित्सा अधीक्षक
हास्पिटल ब्लॉक

पृ०सं०:

रा०म०लो०अ०सं०/प्रशि०/2019/ -

तददिनांक

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-


नर्सिंग अधीक्षिका डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, (हास्पिटल ब्लॉक) गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में स्कूल आफ नर्सिंग बाबा एजूकेशन सोसाइटी इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल के जी०एन०एम० प्रशिक्षणार्थियों जिनके नामों की सूची प्रस्तुत की जायेगी, उन छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

2-

निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

3-

सहायक लेखा अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों का शुल्क जमा करवाने का कष्ट करें।


चिकित्सा अधीक्षक
हास्पिटल ब्लॉक



Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ph No. (0522) 4918504, 6692000 Fax No. - 0522- 4918506,
Website- www.drmlims.ac.in E-mail: deanrmlims@gmail.com

Ref.No: 4600 /Dean/RMLIMS/2019

Date: 6.....12.2019

To,
Director,
Baba Educational Society, Institute of Paramedicals,
Deva Road, Chinhat, Lucknow.

Subject- Regarding approval for Short Term Nursing Training.

Dear Sir,


With reference to your letter no. 061/19, dt. 27/03/2019, the request for the Short Term Nursing Training of 40 B.Sc. Nursing 3rd year students, is permitted for one month to be commenced from 16.12.2019. This permission is applicable only if payment of Rs. 3,000/- PM for each of the student is done before commencement of training.

The general conditions are as below:

- The clinical rotation plan approval will be provided after fee deposit.
- The Students will be permitted with their tutor only. In case, any incident of indiscipline or breakage/damage to the hospital premises happens by the students, the parent institute will be responsible for that.
- The rules and regulations of this institute will have to be followed mandatorily by the trainees during the training session.
- This permission is provisional and can be cancelled, if any of the terms and conditions is not duly followed.

Thank You

Sincerely,


(Prof. Nuzhat Husain)
Dean

Copy to Chief Nursing Officer, Dr. RMLIMS, Lucknow for information & necessary action.


(Prof. Nuzhat Husain)
Dean

प्रश्नक

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

संख्या-प्रशि०प्रको०/०२/२०१४ / ५३/५

लखनऊ दिनांक ३०/८/२०१९

विषय: जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-४४७/१९, दिनांक २९.०८.२०१९ एवं शासन के पत्र संख्या-१०१३/पांच-८-२०१४-एन(१३८)/२००८, टी०सी० दिनांक २३.०४.२०१५ का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-१०१३/पांच-८-२०१४-एन(१३८)/२००८, टी०सी० दिनांक २३.०४.२०१५ एवं शासनादेश संख्या-२५१९/पांच-८-२०१२-एन (१३८)/२००८ दिनांक २५.१०.२०१२ में दी गई शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (६०) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ से (वर्ष २०१९-२०) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की ड्यूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संघर्षों की क्षति होने की सम्भावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय सम्बन्धित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम ०६ माह की अवधि का होगा।
- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से ०६ माह हेतु रूपया-१०००/- सूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम पाँच बैच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक, की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा ०५ वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-३ में वर्णित अवधि तक के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थान को दी गयी अनुमति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

तददिनांक

संख्या : प्रशि०प्रको०/०२/२०१४ /

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या- प्रशि०प्रको०/02/2014/

विषय- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की
जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ दिनांक: 02/01/2019

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ
के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-1013/पाँच-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी०
दिनांक 23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पाँच-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी०
दिनांक 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/पाँच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012 में दी
गयी शर्तों के अधीन निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में
प्रशिक्षणास्तु (60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर,
लखनऊ के अधीन (वर्ष 2018-19) हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के
अधीन प्रदान की जाती है।

1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की ड्यूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के
साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/सेगियों की क्षति होने की संभावना अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय सबधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक
प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ
माह हेतु रूपया-1,000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।

3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेन्च को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।

4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० द्वारा
किया जायेगा।

5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी
समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या-प्रशि०प्रको०/02/2014/03

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी,
चिनहट, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय,
गोमती नगर लखनऊ।

संख्या-प्रशि०प्रको०/०२/२०१४/

विषय-बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक 21/11/2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स
लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2017 एवं शासनादेश संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)
/2008, टी०सी० दिनांक 23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी०
दिनांक 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012, में
दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणरत्
(60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ
के अधीन (वर्ष 2017) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन
प्रदान की जाती हैं।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्टी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के
साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संघर्षों की क्षति होने की संभावना
अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य
चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ.
माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैंव को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा
किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय
शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/०२/२०१४/7468

तददिनांक।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया,
संयुक्त चिकि० गोमती नगर,
लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
जिला महिला चिकित्सालय,
मेरठ।

संख्या- प्रशि०प्रको० / /2014/

लखनऊ: दिनांक- 28/4/2015

विषय- जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008,टी०सी०, दिनांक-23.04.2015, का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008,टी०सी०, दिनांक-23.04.2015, एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन० (138)/2008, दिनांक- 25.10.2012, में दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ, एवं आई०आई०एम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, गंगानगर, मेरठ, जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, में प्रशिक्षणरत् जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्यूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की संभावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेगें तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेगें। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छः माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 2- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 3- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- 4- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

तद्दिनांक

पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/2398/2014 8365-67

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8,
2. बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56- मटियारी, चिनहट, लखनऊ
3. आई०आई०एम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, गंगानगर, मेरठ,

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-8

पत्र संख्या-प्रशि0/प्रको0/02/2014/1078

लखनऊ : दिनांक-13/3/2015

विषय- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी0एन0एम0 की छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ के पत्र संख्या-091/15, दिनांक-11.03.2015, का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, की जी0एन0एम0/बी0स0सी0 नर्सिंग छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है। कि शासनादेश संख्या -3731/पाँच-8-2014-एन.(138 2008,टी0सी0, दिनांक-03.12.2014, द्वारा बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को सामु0स्वा0केन्द्र चिनहट लखनऊ, से शासनादेश संख्या-2519/पाँच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक-25.10.2012, में दी गयी शर्तों के अधीन महानिदेशालय के आदेश संख्या-प्रशि0/प्रको0/02/014/10763, दिनांक-29.12.2014, द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ ने जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ, से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

शासन से अनुरोध है, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ, से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश देने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशि0प्रको0/02/2014/29

लखनऊ : दिनांक 18/12/2017

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-3731/पॉच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-3731/पॉच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन0(138)/2008, दिनांक 25.10.2012, में दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सामु0स्वा0 केन्द्र चिनहट लखनऊ से (वर्ष 2018) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की संभावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेगा तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छः माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014/

तददिनांक।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3

दिनांक : 22/12/17


चिकित्साधीशक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
चिनहट, लखनऊ।

विषय : बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में अध्ययनरत् ए0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ द्वारा अपने संस्थान में अध्ययनरत् ए0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 07.12.17 के माध्यम से अनुरोध किया गया था जिसे संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयगत सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का राजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने पायें।


पत्रांक : मु0चि0अ0/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

संख्या- 1013/पांच-8-2015-एन(138)/2008टीसी

प्रेषक,

पी0एन0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2015

विषय:- जी0एन0एम0 के छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या प्रशि0/प्रको0/02/2014/1078, दिनांक 13-3-2015 एवं प्रशि0/प्रको0/142/2014/1071, दिनांक 13-3-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थानों के जी0एन0एम0 के छात्र/छात्राओं को उनके सम्मुख अंकित चिकित्सालयों से भी व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति शासनादेश संख्या-2519/पांच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25-10-2012 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबंधित चिकित्सालय, जहां से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
1.	बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ	डा0 राम मनोहर लोहिया संगुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
2.	आई0आई0एम0टी0 कॉलेज आफ मेडिकल साईंसेज, गंगानगर, मेरठ	जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ।

भवदीय,

(पी0एन0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-
प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशिक्षण/02/2014

लखनऊ दिनांक- 29/11/2014

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ, की
एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन देय संख्या-3731/पॉच-8-2014 एन (138) 2008 टी0सी दिनांक-
3-12-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसकी प्रतिलिपि आप को पृष्ठांकित है।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या 3731/पॉच-8-2014-एन (138)/2008 टी0सी0
दिनांक-3-12-2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन0 (138)/2008, दिनांक- 25.10.2012 में दी
गयी शर्तों के अधीन बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ,
में प्रशिक्षणरत छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने
की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं
के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी
संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की
संभावना अधीशक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा
मुख्य चिकित्सा अधीशक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत
करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ
माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा
अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्ष हेतु निर्गत की
जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0
द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति का दिना कोई कारण बताये किस्तों में
समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

अचर निदेशक(प्रशिक्षण)

संख्या- प्रशिक्षण/02/2014/1076465

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा अनुभाग-8,
- 2- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ,





अचर निदेशक (प्रशिक्षण)
विभागाध्यक्ष एवं आक्षेपक सेवायें

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक मु0चि0आ0/2015/ 1753 6

दिनांक 24/2/15

- 1- प्रतिलिपि अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ को प्रतिपत्र पर अंकित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या प्रशि0प्रको0/02/014/10764-65 दिनांक 29.12.14 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बाबा एजुकेशनल सोसायटी एण्ड इस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी चिनहट, लखनऊ की ए0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
 - उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग- 8
 - महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - अपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - निदेशक, बाबा एजुकेशनल सोसायटी एण्ड इस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी चिनहट, लखनऊ।
 - अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

प्रेषक
पी०एन० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
महानिदेशक,
विकिर्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।

विकिर्सा अनुभाग-४

लखनऊ दिनांक ३ दिसम्बर २०१४

विषय- जी०एन०एग० के छात्र/ छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आगते पत्र संख्या प्रशि/प्रको/१००१५/२०१४/९९७३, दिनांक २१-१०-२०१४, मु०वि०अ०/१४-१५/२०१४/१००५४ दिनांक २२-१०-२०१४, प्रशि/प्रको/११७/२०१४/१०२२५, दिनांक १२-११-२०१४, प्रशि/प्रको/१०७/२०१४/१०००१८, दिनांक २१-१०-२०१४ तथा प्रशि/प्रको/११२/२०१४/१०१७८, दिनांक ०७-११-२०१४ के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थानों की जी०एन०एग० के छात्र/ छात्राओं को उनके समुच्च अंकित विकिर्सालयों से व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति शासनादेश संख्या-२५१९/पॉब ६-२०१२ एन(१३८)/२००८, दिनांक २५-१०-२०१२ में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबन्धित विकिर्सालय, जहां से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
१.	कृपालु इस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल साइंसेज रायबरेली	जिला विकिर्सालय (महिला/पुरुष) रायबरेली
२.	बाबा एप्लिकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६ मण्डियारी, विनहट, लखनऊ	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विनहट, लखनऊ
३.	मौ मत्तुरनी देवी महाविद्यालय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, चन्द्राडीह, बलिया	जिला विकिर्सालय, बलिया/मुख्य विकिर्साधिकारी, बलिया के अधीन
४.	मौ रामती गेगोरियल नर्सिंग कालेज, फतेहपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मिठौर/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हुसैनगंज, फतेहपुर
५.	काशीनाथ नर्सिंग एंव पैरामेडिकल कालेज, रामनगलापुर बगली खुर्द, गाजीपुर	जिला विकिर्सालय, गाजीपुर/मुख्य विकिर्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन

भवदीय,

पी०एन० सिंह
विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे०पी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2012

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों की सामान्य
उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/4152 दिनांक 28.08.2012 का
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा
संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों की उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण की
अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्यूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित
रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को
चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों
की क्षति होने की संभावना कम होगी तथा यदि कोई दुर्घटना होती है तो
उक्त प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला
चिकित्सालय सम्बन्धित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति
करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने
पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक
प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- (2) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी पूर्ण में रू०
500/- यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त किया जाता था। यह शुल्क काफी
समय पूर्व निर्धारित किया गया था। वर्तमान में मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत यूजर
चार्ज के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी रू०-1000/- प्राप्त किया जायेगा।
- (3) निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बँध
को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त
अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05
वर्षों हेतु निर्गत की जाएगी।

ॐ सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति-वर्ष प्रस्ताव-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना किसी कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

कृपया तदनुसार सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय
(जे०पी० शर्मा)
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /

लखनऊ दिनांक 11/11/2019

विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /4313 दिनांक 30.08.2019 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट का अंकन नहीं है जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का आवंटन आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र 3731/पांच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन किया गया है किन्तु महानिदेशालय के पत्र दिनांक 30.08.2019 में टंकण त्रुटिवश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन नहीं किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ में (वर्ष 2019) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कष्ट करें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या : प्रशि0प्रको0/02/2014 / 4736

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 के क्रम में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रषक

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /

लखनऊ दिनांक 30/01/2019

विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यक्रम

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-446/19, दिनांक 29.08.2019 एवं शासन के पत्र संख्या-3731/पाच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र 3731/पाच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पांच 8 2012-एन (138)/2008 दिनांक 25.10.2012 में दी गई शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से (वर्ष 2019) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की द्यूरी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संघियों की क्षति होने की सम्भावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय सम्बन्धित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
2. सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से 06 माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
3. निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम पांच बैच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक, की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
4. सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
5. उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थान को दी गयी अनुमति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निररल किया जा सकता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

तददिनांक

संख्या : प्रशि0प्रको0/02/2014 / 4313

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशि०प्रको०/02/2014/

लखनऊ दिनांक: 02/01/2019

विषय:- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-3731/पाँच-8-2014-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-3731/पाँच-8-2014-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक 03.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पाँच-6-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अधीन निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणार्थ (60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सामु०स्वा०केन्द्र चिनहट लखनऊ से (वर्ष 2018-19) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की ड्यूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की संभावना अधीक्षक, जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छः माह हेतु रूपया-1,000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।

3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेन्च को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।

4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या-प्रशि०प्रको०/02/2014/05

तद्दिनांक,

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P.,INDIA

C.K.Tewari
MHA (AIIMS)
Director

Dr.E.F.Rawat
M.A.,M.Com.,L.L.B.,Ph.D
Legal & Financial Advisor

April 27, 2017

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: 2nd Year GNM Nursing Students Training

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 068/17 dated 25.4.2017 regarding Psychiatric Experience for your Fifty Eight (Second Year) General Nursing Students. You may send **only Female** Nursing Students from **19th June 2017 to 29th July 2017**. As follows:


Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	19.6.2017	24.6.2017	5	2 nd	19.6.2017	24.6.2017	5
3 rd	26.6.2017	1.7.2017	5	4 th	26.6.2017	1.7.2017	5
5 th	3.7.2017	8.7.2017	5	6 th	3.7.2017	8.7.2017	5
7 th	10.7.2017	15.7.2017	5	8 th	10.7.2017	15.7.2017	5
9 th	17.7.2017	22.7.2017	5	10 th	17.7.2017	22.7.2017	5
11 th	24.7.2017	29.7.2017	4	12 th	24.7.2017	29.7.2017	4

The Charge will be Rs.1000/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow. **(Kindly note that Orientation Fee may be revised by the Management).**

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **19th June 2017 to 29th July 2017** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P.,INDIA

May 23, 2018

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: 2nd Year GNM Nursing Students Training

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 119/18 dated 7.5.2018 regarding Psychiatric Experience for your Sixty (Second Year) General Nursing Students. You may send only Female Nursing Students as follows:


Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	28.5.2018	2.6.2018	5	2 nd	28.5.2018	2.6.2018	5
3 rd	2.7.2018	7.7.2018	7	4 th	2.7.2018	7.7.2018	7
5 th	9.7.2018	14.7.2018	2	6 th	9.7.2018	14.7.2018	2
7 th	16.7.2018	21.7.2018	2	8 th	16.7.2018	21.7.2018	2
9 th	23.7.2018	28.7.2018	2	10 th	23.7.2018	28.7.2018	2
11 th	30.7.2018	4.8.2018	2	12 th	30.7.2018	4.8.2018	2
13 th	4.8.2018	11.8.2018	3	14 th	6.8.2018	11.8.2018	2
15 th	13.8.2018	18.8.2018	3	16 th	13.8.2018	18.8.2018	2
17 th	20.8.2018	25.8.2018	3	18 th	20.8.2018	25.8.2018	2
19 th	27.8.2018	1.9.2018	3	20 th	27.8.2018	1.9.2018	2

The Charge will be Rs.1000/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE payable at Lucknow. **(Kindly note that Orientation Fee may be revised by the Management).**

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students as per Schedule so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes.

Yours sincerely


Claudius K. Tewari, DIRECTOR
NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE
LALBAGH, LUCKNOW

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P.,INDIA

January 23, 2019

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: **Reschedule** of GNM and B.Sc. Nursing Students Training Programme.

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 016/19 dated 14.1.2019 regarding Psychiatric Experience for your **Nineteen GNM and Thirty Nine B.Sc. Nursing Students**. You may send **only Female** Nursing Students as follows:

GNM (19 Students)

Morning Batch	Date		Number of Students
	From	To	
1 st	5.8.2019	10.8.2019	5
3	12.8.2019	17.8.2019	5

Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To	
2 nd	5.8.2019	10.8.2019	5
3 rd	12.8.2019	17.8.2019	4

B.Sc. (39 Students)

Morning Batch	Date		Number of Students
	From	To	
1 st	19.8.2019	24.8.2019	5
3 rd	9.9.2019	14.9.2019	8
5 th	16.9.2019	21.9.2019	7


Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To	
2 nd	19.8.2019	24.8.2019	5
4 th	9.9.2019	14.9.2019	7
6 th	16.9.2019	21.9.2019	7

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students as per Schedule so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office for information



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

January 23, 2019

Mr.R.K.Bajpai
Director
College of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: **Reschedule** of GNM Nursing Students Training Programme.

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 017/19 dated 14.1.2019 regarding Psychiatric Experience for your **Fifty Nine GNM Nursing Students**. You may send **only Female** Nursing Students from **21st January 2019 to 23rd February 2019**. As follows:


Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	21.1.2019	26.1.2019	4	2 nd	21.1.2019	26.1.2019	4
3 rd	28.1.2019	2.2.2019	4	4 th	28.1.2019	2.2.2019	4
5 th	4.2.2019	9.2.2019	4	6 th	4.2.2019	9.2.2019	4
7 th	11.2.2019	16.2.2019	4	8 th	11.2.2019	16.2.2019	4
9 th	18.2.2019	23.2.2019	4	10 th	18.2.2019	23.2.2019	4

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **21st January 2019 to 23rd February 2019** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes.

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

15, 16

February 3, 2020

Mr. R.K. Bajpai
 Director
 School of Nursing
 Baba Educational Society
 Institute of Para Medicals
 56 Matiyari (Chinhat)
 Deva Road, Lucknow. 226 028

Sub: 2nd Year Nursing Students Training Programme.

Dear Sir/Madam,

This has reference to your Letter No. 607/19 dated 27.12.2019 regarding Psychiatric Nursing Experience for your Sixty (2nd Year) GNM Students. You may send **only Female** Nursing Students from **16th March 2020 to 25th April 2020**. As follows:

Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	16.3.2020	21.3.2020	5	2 nd	16.3.2020	21.3.2020	5
3 rd	23.3.2020	28.3.2020	5	4 th	23.3.2020	28.3.2020	5
5 th	30.3.2020	4.4.2020	5	6 th	30.3.2020	4.4.2020	5
7 th	6.4.2020	11.4.2020	5	8 th	6.4.2020	11.4.2020	5
9 th	13.4.2020	18.4.2020	5	10 th	13.4.2020	18.4.2020	5
11 th	20.4.2020	25.4.2020	5	12 th	20.4.2020	25.4.2020	5

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **16th March 2020 to 25th April 2020** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


 Claudius K. Tewari
 Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
 Mrs.Neelam Fellows, Head Nursing Services
 Mr.Abhinect Paul, Finance Officer



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

February 26, 2020

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: 3rd Year B.Sc. (N) Students Training Programme.

Dear Sir/Madam,

This has reference to your Letter No. 608/19 dated 27.12.2019 regarding Psychiatric Nursing Experience for your **Thirty Nine (3rd Year) B.Sc. Students**. You may send **only Female Nursing Students** from **31st August 2020 to 12th September 2020**. As follows:

Morning Batch	Date		Number of Students
	From	To	
1 st	31.8.2020	5.9.2020	10
3 rd	7.9.2020	12.9.2020	10

Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To	
2 nd	31.8.2020	5.9.2020	10
4 th	7.9.2020	12.9.2020	9

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **31st August 2020 to 12th September 2020** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely

Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.Neelam Fellows, Head Nursing Services
Mr.Abhineet Paul, Finance Officer



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

January 23, 2019

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: **Reschedule** of GNM and B.Sc. Nursing Students Training Programme.

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 016/19 dated 14.1.2019 regarding Psychiatric Experience for your **Nineteen GNM and Thirty Nine B.Sc. Nursing Students**. You may send **only Female** Nursing Students as follows:

GNM (19 Students)

Morning Batch	Date		Number of Students
	From	To	
1 st	5.8.2019	10.8.2019	5
3	12.8.2019	17.8.2019	5

Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To	
2 nd	5.8.2019	10.8.2019	5
3 rd	12.8.2019	17.8.2019	4

B.Sc. (39 Students)

Morning Batch	Date		Number of Students
	From	To	
1 st	19.8.2019	24.8.2019	5
3 rd	9.9.2019	14.9.2019	8
5 th	16.9.2019	21.9.2019	7


Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To	
2 nd	19.8.2019	24.8.2019	5
4 th	9.9.2019	14.9.2019	7
6 th	16.9.2019	21.9.2019	7

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students as per Schedule so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office for information

NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

February 21, 2019

Mr.R.K.Bajpai
Director
School of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow 226 028

Sub: **Reschedule** of B.Sc. Nursing Students Training Programme.

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 016/19 dated 14.1.2019 regarding Psychiatric Experience for your **Thirty Nine B.Sc. Nursing Students**. You may send **only Female** Nursing Students as follows:


Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	5.8.2019	10.8.2019	5	2 nd	5.8.2019	10.8.2019	5
3 rd	12.8.2019	17.8.2019	5	4 th	12.8.2019	17.8.2019	5
5 th	19.8.2019	24.8.2019	5	6 th	19.8.2019	24.8.2019	5
7 th	9.9.2019	14.9.2019	5	8 th	9.9.2019	14.9.2019	4

The Charge will be Rs.1500/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow.

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students as per Schedule so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.Neelam Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office for information



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P., INDIA

May 23, 2018

Mr.R.K.Bajpai
Director
College of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: B.Sc. Nursing Students Training

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 120/18 dated 7.5.2018 regarding Psychiatric Experience for your Thirty Eight B.Sc. Nursing Students. You may send **only Female** Nursing Students from **17th September 2018 to 29th September 2018**. As follows:

Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	17.9.2018	22.9.2018	10	2 nd	17.9.2018	22.9.2018	9
3 rd	24.9.2018	29.9.2018	10	4 th	24.9.2018	29.9.2018	9

The Charge will be Rs.1000/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow. **(Kindly note that Orientation Fee may be revised by the Management).**

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **17th September 2018 to 29th September 2018** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/alterd or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely

Claudius K.Tewari
Director **DIRECTOR**
NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE
LALBAGH, LUCKNOW

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services
Accounts Office



NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE

LALBAGH, LUCKNOW- 226001 U.P.,INDIA

C.K.Tewari
MHA (AIIMS)
Director

Dr.E.F.Rawat
M.A.,M.Com.,L.L.B.,Ph.D
Legal & Financial Advisor

April 27, 2017

Mr.R.K.Bajpai
Director
College of Nursing
Baba Educational Society
Institute of Para Medicals
56 Matiyari (Chinhat)
Deva Road, Lucknow.226 028

Sub: B.Sc. Nursing Students Training

Dear Sir,

This has reference to your Letter No. 069/17 dated 25.4.2017 regarding Psychiatric Experience for your Twenty Eight B.Sc. Nursing Students. You may send **only Female** Nursing Students from **1st May 2017 to 20th May 2017**. As follows:


Morning Batch	Date		Number of Students	Evening Batch	Date		Number of Students
	From	To			From	To	
1 st	1.5.2017	6.5.2017	5	2 nd	1.5.2017	6.5.2017	5
3 rd	8.5.2017	13.5.2017	5	4 th	8.5.2017	13.5.2017	5
5 th	15.5.2017	20.5.2017	4	6 th	15.5.2017	20.5.2017	4

The Charge will be Rs.1000/- per student (one time) for Orientation Training. Payment for Training may please be sent to us either in advance or at the time of joining by means of a Demand Draft in favour of **NUR MANZIL PSYCHIATRIC CENTRE** payable at Lucknow. **(Kindly note that Orientation Fee may be revised by the Management).**

We shall appreciate a reply from you confirming to send your Students from **1st May 2017 to 20th May 2017** so that we may block the above-mentioned dates for your Students. If due to any unforeseen reasons these dates have to be changed/altered or cancelled you will be informed in advance. Further, one Tutor should remain with the students who will also be responsible for their discipline and other matters during the posting.

With kind regards and best wishes,

Yours sincerely


Claudius K. Tewari
Director

CC: Dr.H.Naidu, Head Clinical Services
Mrs.N.Fellows, Head Nursing Services